"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016— चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-139/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 57-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उप-धारा (1) में, शब्द "परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नही होगी" का लोप किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57-क के अधीन राज्य सरकार, अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये निर्वाचन को स्थागित करने के लिये सशक्त है;

और यत:, स्थगन की अधिकतम समय सीमा, 21 अक्टूबर, 2015 को समाप्त हो गई है और इसलिये राज्य सरकार को, निर्वाचन को स्थगित करने की अग्रतर शक्ति प्रदान की गई है;

अतएव, उक्त अधिनियम में संशोधन करते हुये, उक्त अधिकतम समय सीमा को लोप करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 18 फरवरी, 2016

बृजमोहन अग्रवाल
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण :-

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-57क निर्वाचन को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति :-

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मुल्तवी कर सकेगी :

परंतु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.